न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 3/2019 ई.रे.

1– रामलाल पिता बाबरू ब्राहमण नि. अमीरामा तहसील बडीसादडी
– अपीलान्ट

बनाम

1– भेरूलाल पिता मोती पुष्करना नि. अमीरामा तहसील बडीसादडी
2– शिवलाल पिता स्व. रामलाल पुष्करना नि. अमीरामा तहसील बडीसादडी
3– निर्मला बाई पत्नी स्व. रामलाल पुष्करना नि. अमीरामा तहसील बडीसादडी
4– राधेश्याम पिता स्व. रामलाल पुष्करना जरिये सं. माता निर्मला बाई नि. अमीरामा
5– सरपंच ग्राम पंचायत अमीरामा तहसील बडीसादडी
–रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गतधारा 44 भू राजस्व अधिनियम

// निर्णय //   दिनांक :– 07/04/2025

अपीलान्ट की ओर सें प्रस्तुत अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अमीरामा की आराजी नम्बर 1041, 1069 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हैक्ट. लगान 10.89 रूपया होकर उक्त आराजी अपीलान्ट तथा अमरती पत्नी स्व. मोती के नाम पर दर्ज रिकोर्ड थी । उक्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा तथा अमरती बाई का 1/2 हिस्सा है, अमरती बाई की मृत्यू करीब 27-30 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिसका वारीस अपीलान्ट है तथा अपीलान्ट ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। स्व. अमरती अपीलान्ट के सगी काकी लगती है। अमरतीबाई के कोई जायंदा औलाद नहीं है अपीलान्ट की मृतक अमरती बाई का वारीस है लेकिन पटवार हल्का के द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता व पति रामलाल को अमरती बाई का वारीस बताकर अपीलान्ट की आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व मृतक रामलाल के नाम पर उक्त नामान्तरण के जरिये राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दी है रामलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारीस रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 है। इसलिये उक्त नामान्तरणकरण निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य है–

1– यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व मृतक रामलाल की माता का नाम अमरतीबाई नहीं है उनकी माता का नाम वदरीबाई पत्नी मोती है जिसकी जाति पुष्करना ब्राहमण है तथा अपीलान्ट व मृतक अमरती बाई चौबीसा ब्राहमण है फिर भी पटवार हल्का के द्वारा बगैर जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व मृतक रामलाल को मृतक अमरती बाई का वारीस बताते हुए उक्त नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक कर दिया है जो न्याय एंव नियम के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2– यह कि उक्त नामान्तरकरण बाबत पटवार हल्का के द्वारा जांच की विधिवत जांच नहीं की न ही अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की सूचना ही दी बिना सूचना दिये पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

3– यह कि पटवार हल्का के द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर अमरती बाई का पारिवारीक सजरा दर्शाया है जो सर्वथा मिथ्या है, अमरती बाई लाऔलाद फोत हो चुकी है। भेरूलाल व रामलाल वरदीबाई पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 17:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

मोती पुष्करना ब्राहमण के पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी है। तथा नामान्तरकरण में भेरूलाल व रामलाल का अमरती बाई का क्या रिश्ता हे कही भी नहीं दर्शाया है फिर भी पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर गिरदावर के द्वारा भी उक्त रिपोर्ट को सही मानते हुए अंकन सही होने का नोट लगा दिया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा बगैर वारीसान की जांच किये उक्त नामान्तरकरण पटवार हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत कर दिया है जो गैरकानूनी होने से निरस्त करने योग्य है।

अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस से तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से जे.पी. वैष्णव अधिवक्ता ने पावर पेश किया । जवाब के कई अवसर दिये गये । जवाब बंद किया गया। शेष अनुपस्थित रहे।

वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बडीसादडी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार अमीरामा में नामान्तरण संख्या 44 विरासत का मृतक खातेदार अमरती पत्नी स्व. मोती ब्राहमण के बजाय पुत्र भेरूलाल रामलाल पिता मोती ब्राहमण के नाम खोला गया जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.11.2014 को स्वीकृत किया गया। मृतक खातेदार अमरती बाई पत्नी मोती के वारिसान की जांच की गई । मृतक के जाईदा कोई पुत्र नहीं होकर एक पुत्री बदामी बाई का होना पाया गया उक्त के अलावा अन्य कोई वारिसान नही है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 20.11.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विरासत के नामान्तरण संख्या 44 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बडीसादडी को पत्रावली रिमाइंड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक अमरती बाई के विधिक वारिसानों की पुष्टि करते हुये नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 17:00:24 IST
Reason: SelfAttested